बिहार विधान-सभा वाद्‌वृत्त।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर।)

वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई, 1976।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 11-क,44,ब-76,-क1-00 ..	1—19
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 1581, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385, 2387—2390, 2395, 2396, 2404, 2405, 2408, 2409, 2412, 2418, 2422, 2424, 2426, 2427, 2429, 2430, 2432, 2436, 2437, 2438, 2442, 2443, 2444, 2447, 2449, 2450, 2452, 2453, 2457, 2458, 2462—2464, 2466, 2467, 2470, 2471, 2475, 2476, 2478, 2479।	19—63
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	64—85
दैनिक निबंध	87—88

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

78 एल० ए०—1

(ख) जहां तक मलेरिया के छंटनीग्रस्त 185 व्यक्तियों को अचिकित्सा सहायक के पद पर नियुक्ति का प्रश्न है उन्हें औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति दी गयी है और साथ ही यह भी सूचना दी गयी है कि यदि उनकी सेवा एवं चरित्र पुस्ति वगैरह देखने से वे शैक्षणिक योग्यता में इस पद के योग्य नहीं पाये गये तो उन्हें अविलम्ब अपने पूर्व पद पर वापस कर दिया जायगा।

रकम की कटौती।

2464. श्री लाल बिहारी प्रसाद एवं श्री एस० के० राय—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री सरफुद्दीन अन्सारी, कनीय अभियंता, लोक-निर्माण विभाग (पथ), डेहरी में पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री अन्सारी के नाम पर सरकारी पैसा अग्रिम के रूप में करीब 6 हजार रुपया दो साल से पड़ा हुआ है;

(3) क्या यह बात सही है कि औडिट पार्टी ने गत जन माह में इस रकम को उनके वेतन से रिकवरी करने का आदेश दिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री अन्सारी से उक्त रकम की कटौती कराना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्याकर कवि—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) श्री अन्सारी के नाम 5,778.67 रु० अस्थायी अग्रिम के रूप में लम्बित है। कार्यपालक अभियंता, डेहरी द्वारा अवर-प्रमंडल पदाधिकारी, डेहरीक आदेश दिया जा चुका है कि श्री अन्सारी द्वारा दिये गये वाउचर को जांचकर प्रतिवेदन दें कि श्री अन्सारी के नाम लम्बित अग्रिम की राशि में कितने का समायोजन हो चुका है और कितना बाकी है। अगर पूरे अग्रिम की राशि का समायोजन नहीं हुआ हो तो प्रतिमास 100 (एक सौ) श्री अंसारी के वेतन से काटकर समायोजित कर लिया जाय।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि श्री अंसारी के नाम जब भी अग्रिम की राशि लम्बित है उसका शीघ्र समायोजन किया जाय (वेतन से रिकभरी द्वारा)।

(4) खंड (2) के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न ही नहीं उठता है।